

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 584]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1967/पौष 5 1889

No. 584]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1967/PAUSA 5, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd December 1967

S.O. 4590—IDRA/18G/67.—Whereas it appears to the Central Government that for the purpose of securing the equitable distribution and availability at fair prices of cement, the supply and distribution of, and trade and commerce in, cement should be regulated;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18G and section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the Cement Control Order, 1967.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the 1st day of January, 1968.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "cement" means any variety of cement manufactured in India, and includes portland pozzalana cement, oil well cement, water proof (Hydrophobic) cement, blast furnace slag cement, rapid hardening cement and low heat cement, but does not include white and coloured cement (other than grey portland cement);

(b) "Controller" means the Cement Corporation of India Limited;

(c) "producer" means any person who manufactures cement.

3. Power to prohibit removal.—No producer shall remove or permit the removal of any cement, whether sold or unsold, from the precincts of his factory or from any other part of his premises to any place outside the precincts of such factory or premises except with the previous permission in writing of the Central Government.

4. Power to direct sale or transport.—The Central Government may, by order, require any producer to sell cement to such person or class of persons or to transport cement to such destinations by such modes of transport, and on such terms and conditions, as may be specified in the Order.

5. Power to direct disposal of stock.—The Central Government may, with a view to securing proper distribution of cement, issue such orders, general or special, as may be necessary, to any producer as to the disposal of his stock.

6. Maintenance and production of accounts, etc.—(1) Every producer shall keep such books, accounts and records, relating to the production, sale and transport of cements as the Central Government may require.

(2) Every producer and every person employed by him in connection with the production, sale and transport of cement shall, on being required so to do by the Central Government, and within such period as may be allowed in this behalf—

(a) produce such books, accounts, records or other documents, and

(b) furnish such returns and other information relating to the business, as may be specified by the Central Government.

7. Retention prices.—The ex-factory prices admissible to the producer for the different varieties of cement shall be as specified in the Schedule.

8. Price at which producer may sell.—No producer shall, himself or by any person on his behalf, sell—

(a) rapid hardening cement and low heat cement at a price exceeding Rs. 148·53 per metric tonne,

(b) any other variety of cement at a price exceeding Rs. 125·53 per metric tonne,
free on rail destination railway station plus the excise duty paid thereon;

Provided that in the case of packed cement, there shall be added to the price referred to in this clause such charges as may be fixed by the Central Government in respect of packing or the containers and the Central Government may fix different charges for different kinds of packing or containers, as the case may be:

Provided further that the Central Government may allow rebate, discount or commission in the price of cement sold to the Government through the Directorate General of Supplies and Disposals or intended for export out of India.

Explanation.—For the purposes of this Order, the expression “free on rail destination railway station” means the price (including the cost of transport by the cheapest mode except where any other mode of transport has been specified by the Central Government under clause 4) at the destination point.

9. Payments to Cement Regulation Account.—(1) Every producer shall, in respect of each transaction by way of sale of cement effected by him, pay within one month of the date on which he realises the price of such cement, to the Controller, an amount equivalent to the amount, if any, by which the free on rail destination price of such cement realised by him exceeds the aggregate of the following amounts, namely:—

(i) the ex-factory price of such cement calculated in accordance with the rates specified in the Schedule;

(ii) a selling agency commission calculated at the rate of Rs. 1·25 per metric tonne;

(iii) the excise duty paid thereon; and

(iv) in the case of packed cement, the charges fixed by the Central Government in respect of the packing or the containers under the first proviso to clause 8:

Provided that the expenditure incurred by the producer on freight by the cheapest mode of transport or where any other mode of transport has been specified by the Central Government under clause 4, by such

mode of transport in respect of such transaction shall be reimbursed to the producer by the Controller from out of the Cement Regulation Account referred to in clause 11.

10. Wholesale and retail prices.—(1) The maximum price at which cement may be sold by a dealer (whether wholesale or retail) shall be such as may be fixed by the State Government and no dealer (whether wholesale or retail) shall sell cement exceeding such maximum Price.

(2) In fixing the maximum price under sub-clause (1), the State Government shall have due regard to—

- (i) the price fixed under clause 8;
- (ii) handling (including charges in respect of packing or containers) and transporting charges;
- (iii) godown charges;
- (iv) stockist's commission;
- (v) local taxes, if any.

11. Cement Regulation Account.—(1) The Controller shall maintain an account to be known as the Cement Regulation Account to which shall be credited the amounts paid by the producer under clause 9 and such other sums of money as the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, be granted by the Central Government.

(2) The amount credited under sub-clause (1) shall be spent only for the following purposes, namely:—

- (i) paying or equalising the expenditure incurred by the producer on freight in accordance with the provisions of this Order;
- (ii) equalising concession, if any, granted in the matter of price for supplies to Government or for purposes of export under the second proviso to clause 8;
- (iii) expenses incurred by the Controller in discharging the functions under this Order subject to such limits, if any, as may be laid down by the Central Government in this behalf.

(3) The Controller shall cause accounts to be kept of all moneys received and expended by him from out of the Cement Regulation Account and he shall prepare and submit such report and returns relating to the said Account as may be required by the Central Government from time to time.

(4) The balance, if any, remaining unspent in the Cement Regulation Account shall be disbursed in accordance with such directions as may be given by the Central Government in this behalf.

12. Power to vary the prices and to alter the Schedule.—The Central Government may, having regard to any change in any of the factors relevant for the determination of price of cement, such as an increase or decrease in the cost of production or distribution, by notification in the Official Gazette, vary the price fixed in this Order or alter the Schedule to this Order as appear to it to be necessary.

13. Delegation.—All powers exercisable by the Central Government under this Order except under clauses 8, 11(2) and 12 shall also be exercisable by the Controller.

14. Procedure regarding claims by producers.—Every producer shall make an application regarding his claim for any reimbursement towards equalising freight or equalising concession in the matter of export price to the Controller who may, in settling the claim, require the producer to furnish all details relating thereto, including the cost of freight incurred, excise duty, if any, paid, etc.

THE SCHEDULE

(See Clause 7)

Name of producer	Price per metric tonne
	(Rs.)
<i>Ex-works price.</i>	
1. M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd., Dalmiapuram.	90 50

Name of Producer	Price per metric tonne	
2. M/s. Andhra Cement Co. Ltd., Vijayawada	90 50	
3. M/s. Orissa Cement Ltd., Rajgangpur	90 50	
4. M/s. K.C.P. Ltd., Macherla	90 50	Upto an annual production of 115,000 tonnes.
	96 00	For every tonne beyond 115,000 tonnes per annum.
5. M/s. Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar	90 50	
6. M/s. Mysore Iron & Steel Works Ltd., Bhadravati.	90 50	
7. M/s. Associated Cement Companies Ltd., New Porbandar Works	96 00	
Jamul Works	96 00	
Dwarka Works	90 50	upto an annual production of 245,000 tonnes.
	96 00	For every tonne beyond 245,000 tonnes per annum.
Other Works	90 50	
8. U.P. Government Cement Factory, Churk	90 50	Upto an annual production of 220,000 tonnes.
	96 00	For every tonne beyond 220,000 tonnes per annum.
9. M/s. Dalmia Dadri Cement Ltd., Dalmia Dadri.	90 50	
10. M/s. Bagalkot Cement Co. Ltd., Bagalkot	90 50	
11. M/s. Ashoka Cement Ltd., Dalmianagar	90 50	
12. M/s. Jaipur Udyog Ltd., Sawaimadhopur	90 50	
13. M/s. India Cements Ltd., Talaiyuthu Works	93 50	
Sankaridrug Works	96 00	
14. M/s. Birla Jute Manufacturing Co. Ltd., Satna.	93 50	Upto an annual production of 225,000 tonnes.
	96 00	For every tonne beyond 225,000 tonnes per annum.
15. M/s. Birla Jute Manufacturing Co. Ltd., Chittorgarh.	96 00	
16. M/s. Shree Digvijay Cement Co. Ltd., Sikka Works	93 50	Upto an annual production of 260,000 tonnes.
	96 00	For every tonne beyond 260,000 tonnes per annum provided that the combined production of the Sikka and Sewree Works is not less than 410,000 tonnes in that year.
Sewree Works	129 75*	*Exclusive of actual wharfage charges paid at Sikka on clinker.
17. M/s. Kalyanpur Lime & Cement Works Ltd., Banjari.	93 50	Upto an annual production of 150,000 tonnes.
	96 00	For every tonne beyond 150,000 tonnes per annum.
18. M/s. Sone Valley Portland Cement Co. Ltd., Japla.	93 50	
19. M/s. Panyam Cement & Mineral Industries Ltd., Cement Nagar.	96 00	
20. M/s. Saurashtra Cement & Chemical Industries Ltd., Ranavav.	96 00	

Name of Producer	Price per metric tonne
	Rs.
21. M/s. Madras Cements Ltd., Rajapalayam	96.00
22. M/s. Mysore Cements Ltd., Ammasandra	96.00
23. M/s. Assam Cements Ltd., Cherrapunji	96.00
24. M/s. Industrial Development Corporation of Orissa Ltd., Bargarh.	96.00
25. M/s. Travancore Cements Ltd., Kottayam	113.25

In the case of rapid hardening cement and low heat cement, an additional price of Rs. 7 and Rs. 10 per metric tonne may be added to the price specified above.

[No. 1-32/67-Cem.]

K. I. VIDYASAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 1967

एस० एन० 4591 आई० डी० आर० ए०/18 जी/67: जबकि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उचित मूल्यों पर सीमेंट का सामान्य वितरण करने और उसे उपलब्ध कराने के लिए सीमेंट का सम्भरण, वितरण और व्यापार का नियमन किया जाना चाहिए :

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ : (1) इस आदेश को सीमेंट नियन्त्रण आदेश, 1967 कहा जायगा।

(2) यह सारे भारत के लिये होगा।

(3) यह 1 जनवरी, 1968 से लागू हो जायगा।

2. परिभाषाएं : इस आदेश में जब तक कि सन्दर्भ का अन्यथा अर्थ न हो :—

(क) "सीमेंट" का तात्पर्य भारत में निम्न किसी भी किस्म के सीमेंट से है और इसमें पोर्ट-लैंड, पोर्जलाना सीमेंट, आयल बेल सीमेंट, जल रोधक (हाइड्रोफोबिक) सीमेंट, ध्रुवन भट्टी स्लैग सीमेंट, जल्दी कड़ा होने वाला सीमेंट तथा निम्न ताप सीमेंट सम्मिलित है किन्तु इसमें सफेद तथा रंगीन सीमेंट (ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट के अतिरिक्त) शामिल नहीं है;

(ख) "नियन्त्रक" का तात्पर्य सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड से है;

(ग) 'निर्माता' का तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो सीमेंट बनाता है।

3. ले जाने पर रोक लगाने की शक्ति : कोई भी निर्माता अपने कारखाने अथवा अपनी सीमा के किसी भाग से उस कारखाने की सीमाओं से बाहर किसी अन्य स्थान को केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना बिका अथवा अनबिका सीमेंट न तो ले जा सकेगा और न उसे ले जाने की अनुमति देगा ।

4. बिक्री अथवा परिवहन के निवेश की शक्ति : केन्द्रीय सरकार आदेश के द्वारा किसी भी निर्माता को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग अथवा ऐसे स्थानों को, परिवहन के ऐसे साधनों द्वारा तथा उन शर्तों पर सीमेंट बेचने का निदेश दे सकेगी जसा कि आदेश में निर्दिष्ट हो ।

5. स्टॉक के निपटान के निवेश की शक्ति : केन्द्रीय सरकार सीमेंट का उचित वितरण करने की दृष्टि से ऐसे आदेश, सामान्य अथवा विशेष, जारी कर सकती है जो किसी निर्माता को उसके स्टॉक का निपटान करने के लिए आवश्यक हों ।

6. लेखों आदि का रखना और प्रस्तुत करना : (1) प्रत्येक निर्माता सीमेंट के उत्पादन, बिक्री और परिवहन से सम्बन्धित ऐसे लेख और रिकार्ड रखेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार चाहेगी ।

(2) प्रत्येक निर्माता सीमेंट के उत्पादन, बिक्री तथा परिवहन के सम्बन्ध में उसके द्वारा नौकरी में रखा गया कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए निवेश दिए जाने पर और ऐसी अवधि में जो इसके लिए दी गई हो—

(क) ऐसे खाते, रिकार्ड अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, और

(ख) व्यापार से सम्बन्धित ऐसी विवरणी तथा अन्य सूचना देगा,

जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।

7. चारण मूल्य : निर्माता विभिन्न किस्मों के सीमेंट के कारखाने से चलते समय के वही मूल्य लेगा जो तालिका में निर्दिष्ट हैं ।

8. मूल्य जिस पर निर्माता बेचेगा : कोई भी विक्रेता न तो स्वयम् और न उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—

(क) जल्दी कड़ा होने वाला सीमेंट तथा कम ताप वाला सीमेंट 148. 53 रु० प्रति मी० टन से अधिक मूल्य पर,

(ख) किसी अन्य किस्म का सीमेंट 125. 53 रु० प्रति मी० टन से अधिक मूल्य पर, नहीं बेचेगा, इस में गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक निःशुल्क तथा इस पर दिया गया उत्पादन शुल्क भी सम्मिलित होगा :

बशर्ते कि पैक किए हुए सीमेंट के मूल्य में इस खण्ड में उल्लिखित वे प्रभार भी जोड़ दिए जाएँगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पैकिंग अथवा कन्टेनरों के सम्बन्ध में निर्धारित किए जाएँगे और केन्द्रीय सरकार विभिन्न किस्मों की पैकिंग या कन्टेनरों के लिए, जसी भी अवस्था हो विभिन्न प्रभार निश्चित कर सकती है :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार सम्भरण तथा निपटान के महा निदेशालय के जरिये सरकार को बेचे जाने वाले अथवा भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले सीमेंट के मूल्य पर छूट, बढ़ा या कमीशन दे सकती है ।

व्याख्या : इस आदेश के प्रयोजन के लिए “गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक निःशुल्क” का तात्पर्य गन्तव्य स्थान तक (परिवहन के सबसे सस्ते साधन द्वारा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा खण्ड 4 के अन्तर्गत किसी दूसरे साधन का उल्लेख न किया जाये), का मूल्य है ।

9. सीमेंट नियमन खाते में अदायगी : (1) प्रत्येक उत्पादक उसके द्वारा किये गए सीमेंट के प्रत्येक सौदे के बारे में ऐसे सीमेंट का मूल्य प्राप्त कर लेने की तारीख से एक मास के अन्तर नियन्त्रक को उस राशि के बराबर राशि की अदायगी करेगा जो गन्तव्य स्थान के सीमेंट के मूल्य तथा निम्नलिखित योग से यदि अधिक हो, अर्थात्:—

- (1) ऐसे सीमेंट का कारखाने से चलते समय का मूल्य जो तालिका में निर्दिष्ट दरों के अनुसार निकाला गया हो;
- (2) बिज्जी एजेंसी कमीशन जो 1.25 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से मिले;
- (3) उस पर दिया गया उत्पादन शुल्क; और
- (4) पैक किये हुए सीमेंट के मामले में खण्ड 8 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पैकिंग या कन्टेनरों के बारे में निर्धारित प्रभार :

बशर्ते कि उत्पादक द्वारा परिवहन के सबसे सस्ते साधन अथवा जहां परिवहन का कोई अन्य साधन जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा खण्ड 4 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया हो परिवहन के ऐसे साधन पर ऐसे सौदे के बारे में किये गये व्यय की नियन्त्रक सीमेंट नियमन खाते में से, जिसका उल्लेख खण्ड 11 में किया गया है, प्रतिपूर्ति करेगा।

10. थोक और खुदरा मूल्य : (1) किसी भी विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले सीमेंट का अधिकतम मूल्य (थोक अथवा खुदरा) वही होगा जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी और कोई भी विक्रेता (थोक अथवा खुदरा) इस अधिकतम मूल्य से अधिक पर सीमेंट नहीं बेचेगा।

(2) उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत अधिकतम मूल्य निर्धारित करने में राज्य सरकार को निम्न बातों पर उपयुक्त रूप से विचार करना होगा :—

- (1) खण्ड 8 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य;
- (2) ढोने (पैकिंग या कन्टेनरों से सम्बन्धित प्रभार सहित) और परिवहन प्रभारों;
- (3) गोदाम का किराया;
- (4) स्ट्राकिस्टों का कमीशन;
- (5) स्थानीय कर यदि कोई हो।

11. सीमेंट नियमन खाता : (1) नियन्त्रक एक खाता रखेगा जिसका नाम सीमेंट नियमन खाता होगा जिसमें खण्ड 9 के अन्तर्गत उत्पादकों द्वारा जमा की गई राशि अथवा अन्य ऐसी राशि जमा की जायगी जिसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में संसद में कानून बना कर विनियोग के पश्चात् स्वीकृति दी जायगी।

(2) उप-खण्ड (1) में जमा की गई राशि केवल निम्नलिखित कार्यों के लिये व्यय की जायगी अर्थात्:—

- (1) इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार निर्माता द्वारा भाड़े पर किये गये व्यय का भुगतान या उसके बराबर राशि देने;
- (2) सरकार को सौंपाई किये जाने के मामले में स्वीकृत रियायत के बराबर यदि कुछ दी गई हो अथवा खण्ड 8 के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत नियमित के लिये;
- (3) इस आदेश की सीमाओं के अन्दर यदि कोई हो नियन्त्रक द्वारा किये गये कार्यों पर हुए व्यय के लिये जैसा कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।

(3) नियन्त्रक इस प्रकार प्राप्त सभी धन राशि तथा सीमेंट नियमन खाते में से किये गए व्यय का हिसाब रखेगा और वह समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार उपर्युक्त खाते के बारे में रिपोर्ट और विवरणी बनायेगा और सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि सीमेंट नियमन खाते में कुछ राशि बिना खर्च की हुई बच जाती है तो उसका वितरण उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए निदेशों के अनुसार किया जायगा।

12. कीमतों में फेर-बदल करने और तालिका को बदलने की शक्ति : भारत सरकार, सीमेंट के मूल्य निर्धारण करने वाले संबंधित कारणों में परिवर्तन हो जाने जैसे सीमेंट के उत्पादन तथा वितरण की लागत में घटा-बढ़ी हो जाने, को ध्यान में रखते हुए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर इस आदेश में निर्धारित मूल्यों का इस आदेश की तालिका में जैसी भी आवश्यकता जान पड़े, फेर-बदल कर सकती है।

13. शक्ति का सौंपा जाना : इस आदेश के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की जाने वाली सभी शक्तियां केवल खण्ड 8, 11(2) और 12 को छोड़कर, नियंत्रक द्वारा भी लागू की जा सकेंगी।

14. उत्पादकों के दावों सम्बन्धी प्रक्रिया : भाड़े को समान बनाने या निर्यात मूल्य में रियायतों को समान बनाने सम्बन्धी दावों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक उत्पादक नियंत्रक को आवेदन देगा जो इन दावों के भुगतान के लिए उत्पादक को इस दावे सम्बन्धी सभी व्यौरा जिसमें भाड़े पर किया गया व्यय, उत्पादन शुल्क, यदि कोई हो, इत्यादि भी सम्मिलित है, प्रस्तुत करने को कर सकेगा।

तालिका

(खण्ड 7 देखिए)

उत्पादक का नाम	मूल्य प्रति मी० टन	
	रुपये	
कारखाने से चलते समय का मूल्य		
1. मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, डालमिया-पुरम	90.50	
2. मेसर्स आंध्र सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, विजयवाड़ा	90.50	
3. मेसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, राजगंगपुर	90.50	
4. मेसर्स के० मी० पी० लिमिटेड, मछरेला	90.50	1,15,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन तक
	96.00	1,15,000 मी० टन प्रति वर्ष से अधिक के लिए
5. मेसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर	90.50	
6. मेसर्स मैसूर आइरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, भद्रावती	90.50	

उत्पादक का नाम	मूल्य प्रति मी० टन	
7. मेसर्स एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज, लिमिटेड		
न्यू पोरबन्दर वर्क्स	96.00	
जमुल वर्क्स	96.00	
द्वारका वर्क्स	90.50	2,45,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन तक।
	96.00	2,45,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन से ऊपर प्रत्येक मी० टन के लिये।
अन्य कारखाने	90.50	
8. उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेंट कारखाना, चुरी	90.50	2,20,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन तक।
	96.00	2,20,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन से ऊपर प्रत्येक मी० टन के लिये।
9. मेसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, डालमिया दादरी	90.50	
10. मेसर्स बगलकोट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, बगलकोट	90.50	
11. मेसर्स अशोक सीमेंट लिमिटेड, डालमिया नगर	90.50	
12. मेसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, मवाई माधोपुर	90.50	
13. मेसर्स इण्डिया सीमेंट्स लिमिटेड, तलैयायु वर्क्स	93.50	
संकरीद्रुग वर्क्स	96.00	
14. मेसर्स बिड़ला जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड,	93.50	2,25,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन तक।
सतना	96.00	2,25,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन से ऊपर प्रत्येक मी० टन के लिये।
15. मेसर्स बिड़ला जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड,	96.00	
चित्तौड़गढ़		
16. मेसर्स श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	93.50	2,60,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन तक।
मिर्जापुर	96.00	2,60,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन से ऊपर प्रत्येक टन पर बशर्ते कि मिश्रक तथा मिश्रक वर्क्स का सम्मिलित उत्पादन उस वर्ष में 4,10,000 मी० टन से कम न हो।

उत्पादक का नाम	मूल्य प्रति मी० टन	
मिबरो वर्क्स	129.75*	*विष्का में खंगर पर दिए गए वास्तविक उत्तराई प्रभार के अतिरिक्त ।
17. मेसर्स कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स लिमिटेड बन्जारी	93.50	1,50,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन तक
	96.00	1,50,000 मी० टन के वार्षिक उत्पादन के ऊपर प्रत्येक मी० टन के लिये
18. मेसर्स सोन बैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, आपला	93.50	
19. मेसर्स पण्थम सीमेंट एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीमेंट नगर	96.00	
20. मेसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रनवाव	96.00	
21. मेसर्स मद्रास सीमेंट्स लिमिटेड, राजालायम	96.00	
22. मेसर्स मंसूर सीमेंट्स लिमिटेड, आमममन्दरा	96.00	
23. मेसर्स आसाम सीमेंट्स लिमिटेड, चेरापूजी	96.00	
24. मेसर्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड, बारगढ़	96.00	
25. मेसर्स द्रवणकोर सीमेंट्स लिमिटेड, कोट्टायम	113.25	

शीघ्र कड़ा हो जाने वाला तथा निम्न ताप सीमेंट के मामलों में क्रमशः 7 रु० प्रति मी० टन तथा 10 रुपये प्रति मी० टन का अतिरिक्त मूल्य ऊपर उल्लिखित मूल्य में जोड़ा जा सकता है ।

[रं० 1-32/67-सीमेंट]

के० आई० विद्यानागर,
संयुक्त सचिव भारत सरकार ।